

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपील
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में
पर्याप्त अवसर दिये, बावजूद पेश नहीं
किए गये, अतः वादी का वाद Non-
Compliance (अपालना) में खारिज किया
जाता है। पत्रावली केसक शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

